शहरी विकास प्राधिकरण ने 1925 करोड़ कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए

रैपिड मेट्रो का मालिकाना हक अब प्राधिकरण के पास

बदलाव

गुरुग्राम | कार्यालय संवाददाता

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने आईएलएंडएफएस कंपनी का पैसा लौटाकर रैपिड मेट्रो का मालिकाना हक ले लिया है। रविवार को एचएसवीपी की तरफ से 1925 करोड़ रुपये कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसपर कर दिए गए।

यह जानकारी आईएलएंडएफएस कंपनी के अध्यक्ष उदय कोटक और एमडी सीएस राजन ने दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2001 को आदेश दिया था कि सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट का 80 फीसदी पैसा तीन महीने के अंदर वापस कर दिया जाए, जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एसक्रो अकाउंट में वापस कर दिया है। अब रैपिड मेट्रो के संचालन करने से लेकर फायदा और नुकसान होने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी।

रैपिड मेट्रो की दोनों लाइन का निर्माण और संचालन रैपिड मेट्रो गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) ने किया। इस कंपनी की स्थापना डीएलएफ और आईएलएंडएफएस ने मिलकर की। कुछ समय बाद डीएलएफ ने अपनी हिस्सेदारी आईएलएंडएफएस को बेच दी। आईएलएंडएफएस टांसपोर्टेशन नेटवर्क लि.की भागीदारी 82.8 फीसदी हो गई। 2016 में आईटीएनएल ने 49 फीसदी हिस्सेदारी आईएलएंडएफएस को दी थी।

गुरुग्राम में चलने वाली रैपिड मेट्रो ट्रेन। यह ट्रेन सेक्टर 55-56 से डीएलएफ फेज-2 के बीच चलती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। खासकर दफ्तर में काम करने वालों को सहूलित मिलती है। ● हिन्दुस्तान

एचएसवीपी अक्तूबर 2019 से कर रही मेट्रो परियोजना का संचालन

एचएसवीपी ने आरएमजीएल और आरएमजीएसएल के घाटे का तर्क का खंडन किया था और इस मामले को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। एचएसवीपी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद तुरंत बाद अक्टूबर 2019 में रैपिड मेट्रो परियोजना के संचालन को अपने हाथ में ले लिया। उसने रैपिड मेट्रो का संचालन करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो को सौंपी। ताकि आम जनता को कोई असुविधा नहीं हो।

एचएसवीपी की तरफ से रैपिड मेट्रो को टेकओवर करने की जानकारी मिली है। कंपनी को कितना पैसा दिया गया, इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

-जितेंद्र यादव, प्रशासक एचएसवीपी गुरुग्राम

नोटिस के विरोध में कोर्ट गया था एचएसवीपी

रैपिड मेट्रो को का संचालन कर रही कंपनी आरएमजीएल ने सात जून 2019 को एचएसवीपी को 90 दिन का नोटिस देकर सेवाएं स्थगित करने के लिए कहा था। एचएसवीपी ने इस नोटिस को अवैध करार देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। अदालत ने अंतरिम आदेशों में 10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा था कि एचएसवीपी सुनिश्चित करे कि वह अपना प्रोजेक्ट कब तक अपने अधीन कर लेगी।

2407 करोड़ देने से मना कर दिया था

आईएलएंडएफएस कंपनी के एमडी सीएस राजन ने कहा कि सीएजी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा देय ऋण का ऑडिट किया गया था। उसमें आईएलएंडएफएस और एचएसवीपी दोनों से प्राप्त इनपुट पर विचार के बाद ऑडिट का दायरा तय किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों ने ऋण देय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 2,407 करोड़ रुपये थी। एसएसवीपी ने यह पैसा देने से मना कर दिया।

12 किलोमीटर के कोरिडोर में 11 स्टेशन

रैपिड मेट्रो गुडगांव के सेक्टर 55-56 से डीएलएफ फेज-2 के बीच चलती है। 12 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर 11 स्टेशन बने हुए हैं। इसमें सिकंदरपुर, डीएलएफ फेज-2,वोडाफोन बेल्वडेयर टावर्स, इंडसइंड बैंक साइबर सिटी, माइक्रोमैक्स मोलसरी एवेन्यू, डीएलएफ फेज-3, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर-42/43, सेक्टर-53/54, सेक्टर-54 चौक, सेक्टर-55/56 शामिल है।